

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग—1

(मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 में क्रम सं0 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 है जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 में क्रम सं0 पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

भाग—2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए ०१ वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम ॐर क्षाहनी
पिता/माता/पति का नाम विश्वतनाथ क्षाहनी
उसका डाक पता श्राम-इन्द्रानगर, डाकखाना-धोना+प्रश्वास-रामनगर, पृष्ठपारण
उसका नाम ०१, वाल्मीकिनगर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र * (में समाविष्ट ०२, रामनगर, विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ६६ में क्रम सं0.५२६ पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपर्युक्त है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक रूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग में संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	02, रामनगर	70	750	श्रीकर राम		22-4-014
2	02, रामनगर	61	777	लोल बाबू प्रसाद		22-4-014
3	02, रामनगर	111	109	रजनीका पुरी		22-4-014
4	02, रामनगर	111	759	रमेश चौधरी		22-4-014
5	02, रामनगर	111	758	सन्तोष चौधरी		22-4-014
6	02, रामनगर	111	40	विजय साह		22-4-014
7	02, रामनगर	66	240	रितेश कुमार		22-4-014
8	02, रामनगर	34	247	धनंजय चौधरी		22-4-014
9	02, रामनगर	34	246	खुमन चौधरी		22-4-014
10	02, रामनगर	34	1290	कारोजा चौधरी		22-4-014

कृपया ध्यान दें :— प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग— 3

मैं, भूम्-१/भाग २ (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने ३४ वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में श्रीनिधि दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में मान्यताप्राप्त लोकता दल दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक छुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) फूल गोभी.....

..... (ii) श्रीनिधि (iii) श्रीनिधि हैं ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/प्रति का नाम ऊपर देवनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिंत हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

गैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं *जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो
राज्य के उस राज्य में के
**जाति/जनजाति हैं।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो रो अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख ०४ - २०१४

अमरसंहीन
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* तागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** यदि तागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :— “मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल” से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन,) आदेश, 1968 के अधीन संविधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनीतिक दल अभिष्रेत है।

भाग— 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम— 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की—
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
- जैसे/ नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है — बड़े
यदि उत्तर ‘हाँ’ में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :
- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक
(ii) पुलिस थाना (थाने)
जिला (ज़िले)
राज्य
(iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,
जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें)
(v) वह (ये) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था
.....

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुमाने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें अृत्प
- (vii) कारागार से निर्मुकित की तारीख (तारीखें) अृत्प
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हैं / नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टताएँ :- अृत्प
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- अृत्प
-
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है अृत्प
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) अृत्प
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति अृत्प

स्थान :- बैठिया

तारीख :- २२-०४-२०१४

अमृशहरू

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग— 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम संख्या— 26

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 23/५/१४ (तारीख) को 11.५० AM (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदृत किया गया।

तारीख 23/५/२०१४

२३/५/१४
 (रिटर्निंग आफिसर)
२३/५/१४ प्रस्तावक द्वारा

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।

भाग— 5

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर)



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROMOTION NO. 2181
WEST CHAMPAKAN SCORE BETIA
COURT FEE 26

भारत STAMP DUTY

0000

Rs. 0000100 22/4/12

375349

INDIA 0Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero

Authorization No. 599

(नियम 4क देखिए)

SANJAY KUMAR
NO. 115 PUBLIC
BETIAH, W. CHAMPAKAN

105/2

3689
22.4.14



01, वाल्मीकिनगर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

AUTHORITY:

Under Notaries Act & Rules

1970 Cr. R.R. 120 C.P.L.

मैं अमर साहनी पुत्र/पुत्री/प्रत्नी विश्वविद्यालय साहनी आयु ३४ वर्ष,
जो उपर्युक्त- इन्ड्रानगर, ठाकरवाना - रामनगर, भोना + प्रत्याइ - रामनगर, पू. - बम्बाई (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/
क्ररती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ क्ररती हूँ :-

(1) मैं भारतीय दूकानदाल (राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/सह रहुत्र अभ्यर्थी के रूप मैं लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें) -

(2) मेरा नाम 02, रामनगर, विहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 66 के क्रम सं ५२६ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं. मो. नं - 9973074858

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिद्धि :-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(जप्त न हो)
1.	स्वयं अमर साहनी	कुनै	कुनै	कुनै
2.	प्रतिध्या पत्नी आश्वा देवी	कुनै	कुनै	कुनै
3.	आश्रित-1 धर्मेन्द्र कुमार	कुनै	कुनै	कुनै
4.	आश्रित-2 नार्मेन्द्र कुमार	कुनै	कुनै	कुनै
5.	आश्रित-3 चंदन कुमार	कुनै	कुनै	कुनै



(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन्न
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुन्न
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्न
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरण की गई	शुन्न
(ड)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन्न
(घ)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शुन्न

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद

(i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्न
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शुन्न
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शुन्न

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धांद उहराया गया है/नहीं उहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुल्क
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शुल्क
(ग)	अधिरोपित दंड	शुल्क
(घ)	वया सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथ्यति	शुल्क

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, रक्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में दंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार गूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	रवय	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50,000/-	5,000/-	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय	को-ऑफरेंसी बैंक ऑफ़ बॉम्बाइ	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क

	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	भूल्प	भुल	भूल	भुल	भुल
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	भूल्प	भूल्प	भूल्प	भुल	भुल
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकधर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	ग्राहीष अधिक लीमा लिङ्गम होता बिगड़ा 2,50,000 का भालूभी	भुल	भुल	भुल	भुल
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	भूल्प	भूल्प	भूल	भुल	भुल
(vi)	मोटरवान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	भूल्प	भूल्प	भूल	भुल	भुल
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुए) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	खीमा का अंगुठी ट्रॉफी लड़ाका 10,000/-	लौला-5 भार टीम लगभग 1,30,000/- लौरी- 50 भार लौमार- 20,000	भुल	भुल	भुल
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	भूल	भूल	भूल	भुल	भुल
(ix)	समग्र कुल मूल्य	3,11,000/-	1,55,000/-	भुल	भुल	भुल

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याए) क्षेत्र(एकड़ में कुल माण)	तीन दीवाना एक टुकड़ा में	भुल	भुल	भुल	भुल
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	4.06	भुल	भुल	भुल	भुल
		हाँ	भुल	भुल	भुल	भुल

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	दो कमराका इकप्ला पोस्ट माहान स्कॉलरशिप	मुन्प	मुन्प	मुन्प	मुन्प



क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	हाँ	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
विकास, संनिधान आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	21,00000/-	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न

8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बारे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यारों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
	कोई अन्य दायित्व	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
	दायित्वों का कुल योग	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न	भुन्न



विभाग को शोध्य	श्रीमान्	कुमार	कुमा	कुमा	कुमा
टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा
आय-कर शोध्य	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा
धनकर शोध्य	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा
सेवाकर शोध्य	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा
नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा
विक्रयकर शोध्य	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा
कोई अन्य शोध्य	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लिखित है का वर्णन करें।	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा	कुमा

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं समाज सेवा
 (ख) प्रति या पत्ती उचिती

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

क्षेत्रान्तर

(प्रामाणपत्र / डिलोग्राफी पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरों का उद्धरण

1	अन्यथी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमा <u>अमर स्थानी</u>
2	डाक का पूरा पता	इमाम-ठान्डानगर, डाकखाला- रोमनगर, झोला + प्रखराड - रोमनगर, पंचमाला पिनकोड़ ४५१०६
3	निवाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	01, वालमीकिनगर, विहार

4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अन्यथा को खड़ा किया है (अन्यथा "खतंत्र" लिखें)	मुक्ति प्रक्रिया कल				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है [उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]	मुक्ति प्रक्रिया कल				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांद ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	मुक्ति प्रक्रिया कल				
7	मुक्ति का स्थायी लेखा सं०	मुक्ति का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति
	(ख) प्रति या पत्नी	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति
	(ग) आश्रित	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति
8	आस्तियाँ और दायित्वाँ के ब्यौरे (रूपये में)					
	पिंडाण	रुपये	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	3,11,000/-	1,55,000/-	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति
ख	स्थावर आस्तियाँ	21,00000/-	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति
	i स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति
	ii क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ सन्निर्माण लागत (यदि लागत हो)	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति
	iii अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति	मुक्ति

	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	भुल	भुल	भुल	भुल	भुल
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	21,00000	भुल	भुल	भुल	भुल
9	दायित्व					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	भुल	भुल	भुल	भुल	भुल
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	भुल	भुल	भुल	भुल	भुल
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	भुल	भुल	भुल	भुल	भुल
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	भुल	भुल	भुल	भुल	भुल
11	उच्चतम शैक्षिक अहंता:	<u>स्नाकार</u>				
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके हारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की नद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी प्रति या पत्नी या मेरे आकृतियों के पास उपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8.9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आशा तारीख २२-०४-२०१७ को सत्यापित किया गया।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

अभिसाक्षी

१८४८

१. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को ३.०० बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

३५८

2. शायथपत्र पर किसी शायथ कमिशनर या प्रथम वर्ग नजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी १२०८ पब्लिक के समक्ष शायथ ली जानी चाहिए।

200

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मट के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

६४५

4. शपथपत्र टकित या सुपादुयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

- टिप्पणी: 5. गाननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अन्यथियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अन्यथी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भला जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अन्यथी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। गाननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अन्यथी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- टिप्पणी: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं.....
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट (अगर कोई हो) है.....